समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)
आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः बी0–112–102(0001)/2011–71/आ0 दिनांकः 09.01.2012 के द्वारा शीर्ष 2015–निर्वाचन–102 निर्वाचन अधिकारी–0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना की 13 06 वर्दी/पोशाक इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1000.00 (एक हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निकासी हेतु उपावंटित की जाती है।

2. उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015–निर्वाचन–102 निर्वाचन अधिकारी– 0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के अन्तर्गत उपर्युक्त इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– एन 2015001020001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम–4–05/98/2561वि0(2) दिनांकः17.04.1998 एवं पत्रांक 3388 वि0(2) दिनांकः 18.04.2011 के आलोक में आवंटित है।

5.वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. यह राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित कार्यों के भुगतान हेतु उपावंटित है। इस राशि से विगत के वर्षों के किसी भी बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

8 उपावंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।

9. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं, इस संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाये।

10.इस उपावंटन आदेश का पृष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

11.उपावंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

ह0 –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 92 /नि0, दिनांकः 17-2-12

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

16/02/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

Sujay_ aadesh_2015001020001_71Aa_09-02-12